

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1448/2025

कमलेश कुमार बैरवा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 24.02.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री बाबूलाल बैरवा, अभिभाषक

प्रत्यर्थागण की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर मुख्यालय चितारा, सहा.निदे.कृषि (वि.) सवाई माधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण मु. आगई, सहा.निदे.कृषि (वि.) धौलपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के पिता 62 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक है, जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। उनका दो ऑपरेशन हो चुका है। अपीलार्थी की माता भी अस्थमा रोग से पीड़ित है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता में किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर

करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम-विरुद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)